परमोड कोहली जे. के समक्ष

एस पी दूबे - याचिकर्ता

बनाम

भारतीय खाद्य निगम और अन्य - उत्तरदाताओ

सीडब्लूपी 2010 का संख्या 11829

8 जुलाई, 2010

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-एफसीआई स्टाफ विनियम, 1971-विनियम 54, 58 और 60-ए-कदाचार और दुर्व्यवहार के आरोप में एफसीआई के सहायक महाप्रबंधक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही-अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एजीएम की सेवानिवृत्ति-चाहे अनुशासनात्मक हो सेवानिवृत्ति के बाद भी कार्यवाही जारी रखी जा सकती है - हां, नियमन 60-ए सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देता है यदि कार्यवाही तब शुरू की गई थी जब कोई कर्मचारी सेवा में था या उसके पुनर्नियोजन के दौरान भी - याचिका खारिज कर दी गई।

निर्णीत, जब तक नियम अनुमति न दे, सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना या जारी रखना अस्वीकार्य है। बेशक, विनियम 60-ए में एक विशिष्ट प्रावधान है जो अन्य बातों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देता है, यदि कार्यवाही तब शुरू की गई थी जब कर्मचारी सेवा में था या यहां तक कि उसके पुन: रोजगार के दौरान भी। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि विनियमन 60-ए केवल मामूली दंड के लिए विभागीय कार्यवाही की अनुमति देता है, पूरी तरह से विनियमन 60-ए की गलत व्याख्या और गलत व्याख्या पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विनियमन 60 मामूली दंड के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है, हालांकि, विनियमन 60-ए सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र प्रावधान है; चाहे वह बड़े जुर्माने के लिए हो या छोटे जुर्माने के लिए। विनियम 60-ए का खंड (i) "किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही" अभिव्यक्ति से शुरू होता है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रावधान की प्रयोज्यता को दर्शाता है।

(पैरा 7)

रवि गुप्ता, अधिवक्ता और उनके साथ बी.आर. गुप्ता अधिवक्ता, याचिकर्ता के लिये

परमोड कोहली जे. (मोखिख)

1. याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर 28 फरवरी 2010 को भारतीय खाद्य निगम की सेवा से सहायक महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। वह अपने खिलाफ 10 फरवरी, 2010

के आरोप पत्र के ज्ञापन (अनुलग्नक पी-4) के तहत शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही और उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की परिणामी कार्यवाही के लंबित रहने से व्यथित हैं।

2. इस रिट याचिका को दायर करने के लिए जिम्मेदार तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान देना आवश्यक है।

3. याचिकाकर्ता 30 मई 1970 को तकनीकी सहायक ग्रेड-III के रूप में प्रतिवादी-निगम की सेवा में शामिल हुआ। उन्होंने तकनीकी सहायक ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति अर्जित की। वर्ष 2008 में ग्रेड- I और प्रबंधक (क्यू.सी.)। बाद में याचिकाकर्ता को 29 जुलाई 2008 के आदेश द्वारा सहायक महाप्रबंधक (क्यू.सी.) के रूप में पदोन्नत किया गया और हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकुला में तैनात किया गया। इसके बाद, उन्हें कार्यालय आदेश दिनांक 8 सितंबर 2008 द्वारा जिला कार्यालय करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता को निर्धारित मूल्य से कम चावल स्वीकार करने के लिए पर्यवेक्षी नियंत्रण की कमी के कुछ आरोपों के आधार पर, 22 सितंबर 2009 के आदेश द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निलंबित कर दिया गया था। गुणवत्ता। 1 फरवरी 2010 को एक आरोप पत्र याचिकाकर्ता को आरोप के लेखों और कदाचार और दुर्व्यवहार आदि के आरोपों के विवरण के साथ दिया गया था। याचिकाकर्ता ने 22 फरवरी 2010 को अपना जवाब प्रस्तुत किया (अनुलग्नक पी -5) और इस बीच याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त हो गया। 28 फरवरी 2010 को। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने आदेश दिनांक 11 मार्च 2010 (अनुलग्नक पी-7) के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए प्रतिवादी संख्या 5 को जांच अधिकारी नियुक्त किया। याचिकाकर्ता को बड़े जुर्माने का मेमो दिया गया है।।

4. याचिकाकर्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को केवल इस आधार पर चुनौती दी है कि सेवानिवृत्ति के बाद वह कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी नहीं रख सकता।

5. याचिकाकर्ता की सेवाएं ईसीएल (कर्मचारी) विनियम 1971 द्वारा शासित होती हैं। विनियम 54 छोटे और बड़े दोनों प्रकार के दंडों से संबंधित है। विनियम 58 बड़े दंड लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है, जबकि विनियम 60 छोटे दंड लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। 15 मई 2007 की अधिसूचना संख्या 97 के माध्यम से, सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया से संबंधित विनियमन 60 (ए) को पेश करने वाले नियमों में एक संशोधन शामिल किया गया था। यह विनियमन यहां पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"60-ए- सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया:*
>
> *(i) कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही, यदि कर्मचारी के सेवा में रहने के दौरान आरोप जारी करके शुरू की गई हो, चाहे उसकी सेवानिवृत्ति से*

पहले या उसके पुन: रोजगार के दौरान, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद, उस प्राधिकारी द्वारा जारी और समाप्त की जाएगी जिसके द्वारा इसे शुरू किया गया था। , उसी तरह, जैसे कि कर्मचारी ने सेवा जारी रखी हो।

(ii) सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी कार्यवाही शीघ्रता से पूरी की जानी चाहिए और अदालत के आदेश, यदि कोई हो, के अधीन, आरोपित अधिकारी को आरोप पत्र की डिलीवरी की तारीख से बारह महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।

(iii) अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, यदि कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही में पाया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी निगम को होने वाले किसी भी आर्थिक नुकसान की पूरी या आंशिक राशि ग्रेच्युटी से वसूलने का आदेश देने के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान रोक सकता है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का 39) की प्रासंगिक धाराओं में उल्लिखित अपराध या कदाचार का दोषी होने या अपनी सेवा के दौरान कदाचार या लापरवाही से निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने की कार्यवाही, जिसमें प्रदान की गई सेवा भी शामिल है सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिनियुक्ति या पुन: रोजगार पर, बशर्ते कि कर्मचारी को पूरी तरह से दोषमुक्त किए जाने की स्थिति में विलंबित भुगतान की स्थिति में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 की प्रासंगिक धाराओं के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाएगा।

अधिसूचना संख्या 97 दिनांक 15 मई, 2007 (प्रथम संशोधन 2007) द्वारा जोड़ा गया।'"

6. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि यह प्रावधान उनकी सेवानिवृत्ति से पहले संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था, तथापि, विनियम 60-ए विनियम 60 के तुरंत बाद है, इसकी प्रासंगिकता केवल मामूली दंड लगाने और इस प्रकार जारी रखने तक है। याचिकाकर्ता के खिलाफ बड़े जुर्माने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही कानून में अस्वीकार्य है। अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए कि सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:

1. जस वांटेड सिंह गिल बनाम मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। और अन्य (1)

2. चन्द्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (2)

3. भागीरथी जेना बनाम निदेशक मंडल, ओ.एस.एफ.सी. (3)

4. कंवलजीत सिंह, महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त) बनाम पंजाब राज्य और अन्य (4)।

7. उपरोक्त निर्णयों में प्रतिपादित कानून के प्रस्ताव पर बिल्कुल कोई विवाद नहीं है। जब तक नियम अनुमति न दे, सेवानिवृत्ति के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना या जारी रखना अस्वीकार्य है। हालाँकि, याचिकाकर्ता उपरोक्त निर्णयों के लाभ का दावा करने का हकदार नहीं है क्योंकि वर्तमान मामले में, माना जाता है कि विनियमन 60-ए में एक विशिष्ट प्रावधान है जो अन्य बातों के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के बाद भी अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देता है, यदि, कार्यवाही जब कर्मचारी सेवा में था या उसके पुनर्नियोजन के दौरान भी शुरू किया गया था। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि विनियमन 60-ए केवल मामूली दंड के लिए विभागीय कार्यवाही की अनुमति देता है, पूरी तरह से विनियमन 60-ए की गलत व्याख्या और गलत व्याख्या पर आधारित है। हालाँकि, विनियमन 60 निस्संदेह मामूली दंड की प्रक्रिया निर्धारित करता है। विनियमन 60-ए सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से संबंधित पूरी तरह से अलग और स्वतंत्र प्रावधान है; चाहे वह बड़े जुर्माने के लिए हो या छोटे जुर्माने के लिए। विनियम 60-ए का खंड (i) "किसी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही" अभिव्यक्ति से शुरू होता है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रावधान की प्रयोज्यता को दर्शाता है।

8. नियमों में प्रावधान की स्पष्ट भाषा को देखते हुए याचिकाकर्ता का तर्क टिकाऊ नहीं है। इस याचिका में कोई दम नहीं है और इसे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर बिना किसी लागत के आदेश के खारिज किया जाता है।

आर.एन.आर.

<u>अस्वीकरण:</u>

भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा